

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/For/2/0052/2025-sec-2-10

भोपाल, दिनांक 17-09-2025

- 1.समस्त क्षेत्र संचालक
टाइगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान
मध्यप्रदेश
- 2.समस्त मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त, मध्यप्रदेश
- 3.समस्त वनमंडलाधिकारी
सामान्य/वन्यजीव वनमंडल
मध्यप्रदेश।

विषय:वन्यजीवों से वाहन के टकराने पर होने वाले मृत्यु के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में।

संदर्भ:मध्यप्रदेश शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 25-17/2011/10-3 दिनांक 06.02.2014, पत्र क्रमांक 15-13/2007/10-2, दिनांक 29.04.2016 एवं पत्र क्रमांक 15-13/2007/10-2, दिनांक 10.12.2022.

विषयांतर्गत संदर्भित आदेशों द्वारा वन्यप्राणियों से जनहानि होने पर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के आदेश प्रसारित किये गये हैं। प्रश्नाधीन आदेशों में किसी वाहन/मोटर साईकिल के वन्यप्राणी से टकराने के कारण हुई दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान नहीं है।

अतः क्षतिपूर्ति राशि भुगतान में उक्त का ध्यान रखकर विधिसम्मत आवश्यक कार्यवाही की जावे।

Digitally signed by

Rajbendra Mishra

Date: 17-09-2025

16:48:01

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0क्रमांक/For/2/0052/2025-sec-2-10

भोपाल, दिनांक 17-09-2025

प्रतिलिपि:

- 1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 2.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग